संख्या–651(1)/43–2–2010–15/2(3)07टीसी–III

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2010

विषयः– राज्य स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित शास्तियों एवं पारित अंतिम आदेशों/दण्डादेशों के नियमित अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 2008 में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि :–

(1) प्रत्येक विभाग वर्ष के माह अप्रैल–मई में अपने विभाग की वर्ष भर की सूचना को अद्यतन करें तथा मुख्य कार्यक्रमों की सूचना अद्यतन करें व संशोधित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(2) प्रत्येक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अपने विभाग में राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्डादेशों के अनुपालन को नोटिस में लिया जाय तथा अनुपालन की प्रत्येक माह समीक्षा की जाय।

2– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्य स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org